सत्यमेव जयते

लोकायुक्त सचिवालय
राजस्थान, जयपुर

राज्य के मंत्रियों, सचिवों,
राजकीय प्रतिष्ठानों के अध्यक्षों, स्वायत्त-शासी
संस्थाओं के महापौरों, उप महापौरों, अध्यक्षों,
उपाध्यक्षों, प्रमुखों, प्रधानों एवं
अन्य अधिकारीगण व कर्मचारीगण के
विरूद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरूपयोग एवं
अकर्मण्यता के आरोपों की जाँच के लिए
उच्चस्तरीय स्वतंत्र संस्थान

जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के उद्देश्य से लोक सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायतों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कार्यवाही करने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 पारित किया गया जिसके अन्तर्गत लोकायुक्त संस्थान का सृजन हुआ।

लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है। यह राज्य सरकार का विभाग नहीं है और इसके कार्य में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

शिकायत किनके विरूद्ध ?

लोकायुक्त द्वारा राज्य के मंत्रियों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, लोक सेवकों, जिला परिषदों के प्रमुखों व उप प्रमुखों, पंचायत समितियों के प्रधानों व उप-प्रधानों, जिला परिषदों व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्षों, नगर निगमों के महापौरों एवं उप महापौरों, स्थानीय प्राधिकरणों, नगर परिषदों, नगरपालिकाओं व नगर विकास न्यासों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों, राजकीय कम्पनियों व निगमों के अध्यक्षों, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की जाँच की जाती है।

शिकायत कब ?

ऊपर वर्णित लोक सेवकों द्वारा किसी को अनुचित हानि या कष्ट पहुँचाने, अपने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए अवैध लाभ प्राप्त करने हेतु लोक सेवक के रूप में अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग करने व अपने

कार्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित या भ्रष्ट अथवा अनुचित हेतुओं से प्रेरित होने एवं लोक सेवक की हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी होने या अकर्मण्यता का आरोप होने पर इनके विरूद्ध शिकायत की जा सकती है।

पाँच वर्ष से अधिक पुराने मामले की शिकायत नहीं की जा सकती।

इनके विरूद्ध इस संस्थान में शिकायत नहीं :

1. न्यायाधीश, न्यायिक सेवा के अधिकारी, समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारी।
2. मुख्यमंत्री।
3. केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निगमित निकाय के समस्त अधिकारी व कर्मचारी।
4. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य।
5. निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
6. विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी।
7. सांसद, विधायक, सरपंच व पंच।
8. सेवानिवृत्त लोक सेवक।

शिकायत कैसे करें ?

कोई भी व्यक्ति (जो लोक सेवक न हो) इस संस्थान के सचिव/उप सचिव को अपनी शिकायत विहित प्रारूप में स्वयं उपस्थित होकर या डाक/फैक्स/ई-मेल द्वारा प्रेषित कर सकता है जिसमें शिकायतकर्ता का पूरा नाम, पता व व्यवसाय आदि के साथ प्रत्येक आरोप पूर्ण विवरण के साथ अंकित होना चाहिए एवं उसके साथ 10/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा

सत्यापित शपथ-पत्र होना आवश्यक है। फैक्स/ई-मेल द्वारा शिकायत प्रेषित करने की स्थिति में शपथ-पत्र डाक द्वारा पृथक से भेजा जाना चाहिए।

जाँच एवं अन्वेषण :

यह सचिवालय **'दोषी लोक सेवक को दण्ड और निर्दोष को संरक्षण'** के सिद्धान्त का अनुसरण करता है, इसलिए प्रत्येक शिकायत का गहन परीक्षण कर आरोप की सच्चाई तक पहुँचने का प्रयास किया जाता है और आवश्यकतानुसार जाँच एवं अनुसंधान के पश्चात् शिकायत में लगाये गये आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित मंत्री के विरुद्ध मुख्यमंत्री एवं अन्य लोक सेवकों के विरूद्ध उनके सक्षम प्राधिकारी को यथोचित कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है।

वार्षिक प्रतिवेदन :

प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत करवाने के लिए लोकायुक्त उन्हें प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं और आवश्यक होने पर विशेष प्रतिवेदन भी भेजा जाता है जिन्हें माननीय राज्यपाल अपने ज्ञापन सहित विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं।

इस प्रकार यह संस्थान लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार एवं पद के दुरूपयोग आदि की शिकायतों की सुनवाई प्रभावी रीति से करने के लिए कृतसंकल्प है।

• • • • •

परिवाद प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में सामान्य दिशा-निर्देश

(1) शिकायत केवल राजस्थान राज्य के लोक सेवकों के विरूद्ध ही की जा सकती है।

(2) शिकायतकर्ता स्वयं लोक सेवक नहीं होना चाहिए।

(3) शिकायत प्रपत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से की जानी चाहिए। आरोपों का विवरण स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप में होना चाहिए। विस्तृत विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है।

(4) शिकायत के समर्थन में 10 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर विधिवत् रूप से तस्दीकशुदा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(5) एक से अधिक शिकायतकर्ता होने की स्थिति में किसी एक शिकायतकर्ता द्वारा ही शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना पर्याप्त है।

(6) पाँच वर्ष से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है परन्तु लगातार चले आ रहे कृत्य के लिए यह समय-सीमा लागू नहीं होती है।

(7) व्यक्तिगत विवाद के मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती है।

(8) व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर शिकायतें प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए।

• • • • •

"समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध।"

-राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर

भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सक्रिय सहभागी बनकर आप राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं।

–: शिकायत–पत्र का विहित प्रारूप :–

प्रेषित :

सचिव,
लोकायुक्त सचिवालय,
शासन सचिवालय परिसर,
जयपुर.

यहाँ पचास पैसे के न्यायशुल्क का टिकिट लगायें

1.	शिकायतकर्ता का नाम एवं पिता/पति का नाम :	
2.	व्यवसाय : (यदि आप नौकरी में हैं तो पद एवं विभाग/संस्था का नाम)	
3.	पत्र–व्यवहार का पूर्ण पता : (टेलीफोन नम्बर, फैक्स व ई–मेल की सुविधा हो तो उसका विवरण)	..... एस.टी.डी. कोड.....टेली नं..... मोबाइल नं. ..... ई–मेल आई.डी.....
4.	लोक सेवक, जिसके विरूद्ध शिकायत की जा रही है, उसका नाम, पदनाम एवं कार्यालय का पता:	
5.	शिकायत का सम्पूर्ण बिन्दुवार विवरण : (यदि विवरण विस्तृत हो तो अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर पृथक से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)	
6.	चाहे गये समाधान/राहत का विवरण : (यदि विवरण विस्तृत हो तो अपने पूर्ण हस्ताक्षर कर पृथक से पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)	
7.	आप जिस प्रकार की साक्ष्य द्वारा अपने आरोप को सिद्ध करना चाहते हैं, उसका विवरण अंकित करें तथा दस्तावेजों की सूची वर्णित कर प्रतियां संलग्न करें:	
8.	यदि इस सम्बन्ध में अन्य किसी अधिकारी/विभाग/आयोग/जाँच एजेन्सी आदि के समक्ष शिकायत की गई है तो उसका विवरण अंकित करें :	
9.	यदि विवादित मामला किसी न्यायालय/ट्रिब्यूनल/जिला मंच/राज्य आयोग/राज्य सूचना आयोग आदि में विचाराधीन है अथवा निर्णीत हो गया है, तो उसका विवरण व निर्णयन अंकित करें :	
10.	आपकी शिकायत एवं उससे सम्बन्धित कोई भी सूचना तृतीय पक्ष को दी जाये या नहीं?	

स्थान :.....

दिनांक : .....

कुल संलग्न पृष्ठों की संख्या.....

शिकायतकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर

-: शपथ-पत्र का विहित प्रारूप :-

दस रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर जो मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित (Attested) हो

(लोकायुक्त सचिवालय में प्रस्तुत शिकायत के समर्थन में)

शपथ-पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
उम्र.....जाति.....निवासी.....
.....सशपथ कथन करता/करती हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा.....विभाग के लोक सेवक श्री..... के विरूद्ध लोकायुक्त सचिवालय में संलग्न शिकायत प्रस्तुत की जा रही है/ की गई है। शिकायत-पत्र का प्रारूप भी प्रस्तुत किया जा रहा है/ किया गया है।
2. उक्त शिकायत की मद संख्या..... में वर्णित तथ्य मेरे निजी ज्ञान से तथा शेष मद संख्या ..... दस्तावेजात/अन्य स्त्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर सत्य हैं।
3. मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत तथा शिकायत-पत्र के प्रारूप में वर्णित सभी तथ्यों को इस शपथ-पत्र का भाग समझा जाये।

शपथग्रहीता

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....शपथग्रहीता शपथ लेकर कहता/कहती हूँ कि उक्त शपथ-पत्र की मद संख्या 1, 2 व 3 मेरी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सही हैं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं छिपाया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

सत्यापन (Attestation)
मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक
स्थान :- .....

नोटेरी के मामले में-
नाम :- .....
रजिस्टर में प्रविष्टि का
क्रमांक.....दिनांक.....

शपथग्रहीता

सचिवालय का पता

लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान
शासन सचिवालय परिसर
जयपुर–302005

फोन : 0141–2227999
फैक्स : 0141–2227083

वेबसाइट : http://lokayukta.rajasthan.gov.in
ई–मेल : lokayukta@rajasthan.gov.in

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान द्वारा आमजन की जानकारी हेतु जनहित में प्रसारित

मुद्रक : राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर